

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1940 (श0) (सं0 पटना 385) पटना, मंगलवार, 12 मार्च 2019

श्रम संसाधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना 8 मार्च 2019

एस0ओ0 60, दिनांक 12 मार्च 2019— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा—3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित नियोजनों में नियोजित अर्द्ध कुशल कोटि के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रारूप अनुसूची

क्र॰स॰	अनुसूचित नियोजनों का नाम				
1.	कॉ–ऑपरेटिव सेक्टर				
2.	अल्मुनियम उधोग				
3.	खंडसारी उधोग				
4.	केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग				
5.	साबुन निर्माण उधोग				
6.	सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उधोग				
7.	एस्वेस्टस सिमेंट उधोग				

क्र॰स॰	अनुसूचित नियोजनों का नाम				
8.	ग्लास शीट निर्माण				
9.	बन्दूक करखाने				
10.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान				
11.	पेपर उधोग				
12.	लौण्ड्रीज एंड वासिंग				
13.	होजियरी निर्माण				
14.	सिन्दुर एवं रंग बनाने का उधोग				
15.	चर्म वस्तु निर्माण				
16.	उड वर्क्स फर्नीचर				
17.	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स				
18.	पेट्रोल एवं डिजल पम्पस				
19.	फिशरीज				
20.	खादी एवं ग्राम उधोग				
21.	प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी				
22.	जिल्दसाजी उधोग				
23.	दफ्ती, कार्ड बोर्ड,मील बोर्ड,कारगेरेक बोर्ड,एक्स्द्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण				
24.	इलेक्ट्रोनिक्स उधोग				
25.	सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग				
26.	प्लाईउड उधोग				
27.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उधोग				
28.	ढलाई (फाउन्ट्री) उधोग				
29.	रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग				
30.	बिस्कुट उधोग				
31.	कोल ब्रिकेट उधोग				
32.	सिलाई उधोग				
33.	हैंडलूम उधोग				
34.	निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स				
35.	डिस्ट्रीलरीज				
36.	प्लास्टिक उधोग				
37.	मिनरल ग्राईडिंग उधोग				
38.	शीशा उधोग (ग्लास शीट छोडकर)				
39.	डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश				
40.	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण				
41.	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं				
42.	चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल				
43.	तेल मिल				
44.	मुद्रणालय				
45.	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान				

क्र॰स॰	अनुसूचित नियोजनों का नाम				
46.	पब्लिक मोटर ट्रांसर्पोट				
47.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले				
48.	कोल्ड स्टोरेज				
49.	लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)				
50.	बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य				
51.	सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य				
52.	बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज				
53.	पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें				
54.	होटल,भोजन गृह एवं रेस्तराओं				
55.	अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)— कारखाना एवं प्रतिष्ठान				
56.	सिनेमा उधोग				
57.	किसी भी विश्वविधालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान				
58.	प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी				
59.	रिफ्रेक्ट्रीज,फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग				
60.	पौट्रीज				
61.	ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शाप्स				
62.	हार्ड कोक भट्ठे				
63.	कुरियर सेवा				
64.	चूड़ा मिल				
65.	इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निसिंग उद्योग				
66.	अभियंत्रण उद्योग (50से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)				
67.	लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य				
68.	जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य				
69.	सूचना एवं प्रौद्यौगिक उद्योग				

प्रस्ताव प्रारूप

अनुसूची–I

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	वर्त्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक 01.10.2018 तक देय परिवर्त्तनशी ल मंहगाई भत्ता	कुल (3+4) दिनांक 01.10.2018 को लागू दर	दिनांक—01.10.2018 को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत अथवा अधिसूचना प्रवृत होने की तिथि को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत	प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दर
1	2	3	4	5	6	7
1	अर्द्वकुशल	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 प्रतिदिन

टिप्पणी :-

- (क) वर्तमान में अकुशल कोटि के कामगार एवं अर्द्धकुशल कोटि के कामगार के न्यूनतम मजदूरी का अंतर बेहद कम है, एवं ये अंतर केवल ₹11 / — का है।
- (ख) अर्द्धकुशल कोटि के कामगारों के पुनरीक्षण का आधार दिनांक—01.10.2018 को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत अथवा अधिसूचना प्रवृत होने की तिथि को लागू अकुशल एवं कुशल कोटि के कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का औसत होगा।
- (ग) मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में अथवा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में भगतान 26 से भाग / गुणा करके किया जायेगा।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम—25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भूगतान पाने का हकदार होगा।
- (छ) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे। नोट :— अर्द्धक्शल कोटि से अभिप्रेत हैं—
 - (i) उपरोक्त 69 अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले अर्द्धकुशल कोटि के कामगार।
 - (ii) भिश्ति (मूशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक (चट्टान, पत्थर प्रस्तर धातु, पत्थर), बेंत बुनने वाला, चारपाई कसने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र रहित), दफ्तरी, फायरमैन, फायरमैन (ईंटो का भट्टा, स्टीम रोड रोलर), गेटकीरपर, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), श्रमिक (चट्टानकर्तन), फिटर गैंग, खलासी, खलासी, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), रात्रिगार्ड, सहायक चाय बनाने वाला, परोसने वाला, (सर्विस मैन), बैरा, वेटर, भंडारवाला, फिटर (सहायक अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), पम्प अटेंडेंट, डांडी फराश, सहायक (लोको, क्रेन / ट्रक), खलासी, नाव वाला, मसालची, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़नेवाला) या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों जिनमें कार्य अनुभव / प्रशिक्षण के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण / मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।
 - (iii) वैसा अकुशल कामगार जिन्होंने पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त किया हो।
 - (iv) वैसा NSQF संबद्ध कौशल प्रशिक्षित कामगार जिनके प्रमाणीकरण पर स्तर (Level) 2 अथवा स्तर (Level) 3 अंकित हो।

(सं0–5 / एम0डब्लू0–403 / 07–1183 / श्र0सं0) बिहार–राज्यपाल के आदेश से, मोहन रजक, अवर सचिव।

8 मार्च 2019

एस0 ओ0 61, एस0ओ0 60 दिनांक 12 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0–5 / एम0डब्लू0–403 / 07–1184 / श्र0सं0) बिहार–राज्यपाल के आदेश से, मोहन रजक, अवर सचिव।

The 8th March 2019

S.O. 60, dated 12th march 2019—The following draft of proposal is to revise the minimum rates of wages fixed by the State Government in semi-skilled category of employees employed in the following Employment in the State of Bihar, which the Governor of Bihar proposes to make in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act and is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act for the information to persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration after two months from the date of publication of this notification in the Gazette of Bihar.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period of two months shall be considered by the State Government.

Draft Proposal Schedule

Sl. No.	Name of Scheduled Employments					
1.	Co-operative Sector					
2.	Aluminum Industry					
3.	Khandsari industry					
4.	Chemical and Pharmaceutical Industry					
5.	Soap Making Industry					
6.	Cement Pre - stressed product Industry					
7.	Asbestos Cement Industry					
8.	Glass Sheet Industry					
9.	Gun factories					
10.	Religious & Social Institution					
11.	Paper Industry					
12.	Laundry & washing					
13.	Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw					
14.	Manufacture of Sindur & Rang					
15.	Manufacture of Leather good					
16.	Wood works & furniture					
17.	Ice Cream and Cold Drinks					
18.	Petrol and Diesel Pump					
19.	Fisheries					
20.	Khadi and Village Industries					
21.	Private Ferries & LTC					
22.	Book binding Industry					
23.	Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory					
24.	Electronics Industry					
25.	Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry					
26.	Plywood Industries					
27.	Electric and other type of Bulbs and Florence tubes					
28.	Foundry Industries					
29.	Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture)					
30.	Biscuit Industry					

Sl. No.	Name of Scheduled Employments				
31.	Coal briquette Industry				
32.	Tailoring Industry				
33.	Handloom Industry				
34.	Private Hospitals, Nursing Home and Clinic				
35.	Distilleries				
36.	Plastic Industries				
37.	Mineral Grinding Industry-				
38.	Glass Industries (excluding glass sheet)				
39.	Dairies and Poultry Farms				
40.	Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.				
41.	Tanneries Leather Technology				
42.	Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills				
43.	Oil Mills				
44.	Printing Press				
45.	Any Shops and establishment				
46.	Public Motor Transport				
47.	Any woollen carpet making or shawl weaving establishment.				
48.	Coal Storage				
49.	Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)				
50.	Dam Construction & Irrigation				
51.	Construction or Manufactory of Road or in Building Construction				
52.	Bakeries and Confectioneries				
53.	Shops selling cooked food stuff				
54.	Hotels Eating House and Restaurants.				
55.	Mica work(Factory & Establishment excluding Mine)				
56.	Cinema industry				
57.	Any University, Educational, Research or cultural institutions				
58.	Private Security				
59.	Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry				
60.	Potteries				
61.	Automobile Engineering Shops				
62.	Hard Coke Industry				
63.	Currier Service				
64.	Frittered Rice				

Sl. No.	Name of Scheduled Employments				
65.	Electro Casting and Metal Furnishing				
66.	Engineering Industries (Employment more than 50 workers)				
67.	Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works				
68.	Jute Industry & Similar works				
69.	Information Technology.				

Draft Proposal Schedule-I

Sl. No.	Categories of Workers	Existing Minimum Rates of Wages	V.D.A Payable up till 01.10. 2018	Total (3+4) Wages enforce from 01.10. 2018	Average of Minimum Wages of Unskilled & Skilled category of worker enforceable from 01.10.2018 or Average of minimum wages applicable for Unskilled & Skilled category at the time of notification.	Proposed rate of Minimum Wages
1	2	3	4	5	6	7
2	Semi skilled	247.00	21.00	268.00	257.00+325.00=582÷2=291	291.00 Per day

Note:-

- (a) The difference between minimum wage for unskilled and semi-skilled worker is very low and at present the difference is only `11/-.
- (b) The basis of revising minimum wage of semi-skilled category is to keep the wage between the average wage of unskilled & skilled category of worker or to keep it at average of minimum wages applicable for Unskilled & Skilled category at the time of notification.
- (c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 or by multiplying the daily rates by 26.
- (d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.
- (f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

Note:- Semi-skilled category means -

- (i) The worker working as semi-skilled worker in the above mentioned 69 schedule employments.
- (ii) Bhisti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker (stone, rock, rock stone, stone, metal), Cane weaver, Charpoy-Stringer, Security Guard (with out arms), Daftri, Fireman, Fireman (brick kiln, steam road roller), Gatekeeper, Helper (artisan), Helper (Sawyer), Labourer (Rock-cutting), Fitter Gang,

Khalasi, Turner, Labourer (heavy weight), Night Guard, Assistant Tea Maker, Service man, Waiter, Bhandarwala, Fitter (Assistant Semi-skilled), Jamadar (Semi-Skilled), Pump attendant, Dandi Frash, Helper (loco, crane/truck), Boat man, Masalchi, Topkar (big stone breaker) or any other worker by whatever name so called and the execution of work require some skill or capacity, acquired either through experience or some training and which is done under the supervision of skilled worker.

- (iii) Such unskilled worker who has a work experience of five or more years.
- (iv) Such worker who has done NSQF allied training and Level 2 or Level 3 is marked on his/her certificate.

(No.-5/M.W-403/07-1183/ L & R) By order of the Governor of Bihar, MOHAN RAJAK, *Under Secretary*.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 385-571+100 डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in